

 आज़ादी का अमृत महोत्सव	भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त का कार्यालय नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा दादरी रोड, फेज-II, नोएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर. Government of India, Min. of Commerce & Industry, Deptt. of Commerce, Office of the Development Commissioner NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE Noida Dadri Road, Phase-II, NOIDA-201305, Distt. Gautam Budh Nagar (UP)
---	---

फ़ा० सं० 12-38/2012-100%ईओयू/ 607/ 23/7/24 दिनांक: 23.07.2024
सेवा में

1. श्रीमान राजेश यादव, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, निवारक कार्यालय आयुक्त सीमा शुल्क, जोधपुर 'सी' स्कीम, जयपुर-302005।
2. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, क्षेत्रीय विदेश व्यापार निदेशालय, सेंट्रल लाइसेंसिंग एरिया (CLA), ITO, नई दिल्ली.

विषय: दिनांक 18.07.2024 को अपराह्न 12:30 बजे आयोजित होने वाली 100% निर्यातान्मुख स्कीम के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की तीसरी मीटिंग (2024 सीरीज) का कार्यवृत्त - एतद् संबंधी.

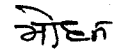
महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और 100%निर्यातान्मुख स्कीम के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की वर्ष 2024 के लिए तीसरी बैठक जो कि श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को अपराह्न 12:30 बजे ऑनलाइन संपन्न हुई, का कार्यवृत्त संलग्न करने का निदेश हुआ है।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

संलग्नक: यथोक्त.

भवदीय,

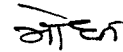


(मोहन वीर रूहेला)

सहायक विकास आयुक्त क/प

प्रतिलिपि:

1. विकास आयुक्त के विशेष कार्याधिकारी- विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
2. संयुक्त विकास आयुक्त के वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
3. उप विकास आयुक्त (EOU) महोदय के सूचनार्थ।
4. संबंधित इकाइयाँ।



23/7/2024

सहायक विकास आयुक्त क/प

 आज़ादी का अमृत महोत्सव	भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त का कार्यालय नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा दादरी रोड, फेज-II, नोएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर. भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग , विकास आयुक्त कार्यालय नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा दादरी रोड, चरण- II, नोएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर (यूपी)
--	--

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 18.07.2024 को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में आयोजित 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
2. श्री जगदीश चंदर, सहायक डीजीएफटी, अतिरिक्त डीजीएफटी कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. श्री राजेश यादव, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क आयुक्त का निवारक कार्यालय, जोधपुर 'सी' योजना, जयपुर- 302005

इसके अलावा, अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड, ii) श्री एम वी रुहेला, सहायक विकास आयुक्त और (iii) श्री सुनील गुलियानी, स्टेनोग्राफर भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए मौजूद थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ जहां भी आवश्यक हो, आवेदकों/इकाइयों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

01. (2024) दिनांक 20.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:- समिति को सूचित किया गया कि 20.05.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 20.05.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

2 (2024) अगले पांच साल के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण का आवेदन मेसर्स ऋषभ ग्रीन मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड

यह बताया गया है कि मेसर्स ऋषभ ग्रीन मार्बल प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर का 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) है, जिसका अनुमति पत्र (एलओपी) नंबर 12-222/2000-100% निर्यात उन्मुख इकाई

(Signature)

(EOU)-I दिनांक 23.03.2000 है, जो संगमरमर स्लैब/टाइल्स और संगमरमर ब्लॉक के निर्माण और निर्यात के लिए है। रिकॉर्ड के अनुसार, इकाई का डीसीपी 31.03.2000 था और अंतिम ब्लॉक 31.03.2020 तक वैध था। इकाई ने 27.07.2020 के पत्र के माध्यम से अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता के विस्तार के लिए आवेदन किया, जिसे 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया।

2.2 चूंकि, इकाई का अनुमति पत्र (एलओपी) 31.03.2021 तक वैध था और इकाई का अनुमति पत्र (एलओपी) बढ़ाया नहीं गया था, इसलिए इकाई का प्रस्ताव 27.02.2024 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया और समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया कि अनुमति पत्र (अनुमति पत्र (एलओपी)) की वैधता समाप्त होने के बावजूद इकाई ने अपने माल का निर्यात कैसे किया। समिति ने आज तक के निर्यात और आयात के आंकड़ों, अनुमति पत्र (एलओपी) के वैध न होने पर निर्यात की व्यवस्था और नवीनतम वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के बारे में भी इकाई से रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया।

2.3 अनुपालन में, इकाई ने दिनांक 27.03.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने आज तक सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना कभी भी कोई इनपुट आयात नहीं किया है। इसके अलावा मुख्य कच्चा माल संगमरमर ब्लॉक था जो 30.06.2017 तक गैर-उत्पाद शुल्क योग्य था और उसके बाद संगमरमर ब्लॉक की खरीद पर जीएसटी की कोई छूट नहीं थी, इसी तरह, उन्होंने आज तक अन्य इनपुट पर शुल्क की कोई छूट नहीं ली है। इसके अलावा न तो उन्होंने और न ही उनके आपूर्तिकर्ता ने आज तक घरेलू बाजार से खरीदे गए इनपुट की आपूर्ति के कथित निर्यात का कोई लाभ लिया है।

2.4 क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे इस कार्यालय के दिनांक 18/03/2024 और 25/04/2024 के पत्र के माध्यम से जल्द से जल्द इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करें कि क्या इकाई ने अनुमति पत्र (अनुमति पत्र (एलओपी)) की वैधता समाप्त होने के बावजूद अपने माल का निर्यात किया था। जवाब में, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग, पांच बती सर्कल, रातानाडा, जोधपुर से दिनांक 29.05.2024 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क रेंज कार्यालय से पत्र फाइल संख्या CUS/EP/MISC/310/2024-रेंज-UDZ-CUS-Prev-Div-जोधपुर दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से प्राप्त एक रिपोर्ट संलग्न थी। यह पत्र इंगित करता है कि मेसर्स ऋषभ ग्रीन मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर दिनांक शून्य (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से 2020-21 से 2023-24 की अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए आयात और निर्यात के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए हैं

01.04.2020 से निर्यात / आयात का विवरण (रु. लाख में)				
क्रमांक	निर्यात वर्ष	प्रत्यक्ष निर्यात	तृतीय पक्ष निर्यात	कुल निर्यात
1	2020-21	शून्य	81.68	81.68
2	2021-22	शून्य	113.48	113.48

22/4/24

3	2022-23	शून्य	68.82	68.82
4	2023-24	शून्य	103.95	103.95

2.5 यह भी सूचित किया गया है कि इकाई द्वारा उपरोक्त अवधि में पूंजीगत वस्तुओं/इनपुट का कोई आयात नहीं किया गया है।

2.6 उपरोक्त के मद्देनजर, विचार-विमर्श किया गया और पाया गया कि इकाई ने अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता समाप्त होने के बावजूद निर्यात किया था और इसलिए समिति ने कानूनी राय लेने का फैसला किया। इस बारे में विशेष राय मांगी गई है कि क्या इस कार्यालय को अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता को नियमित करने के लिए मामले का फैसला करना चाहिए। इसके अलावा, इकाई को लेनदेन के प्रकार सहित तीसरे पक्ष द्वारा किए गए निर्यात के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

3) मेसर्स ग्रीन शील्ड प्रोटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड, मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई को 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) में परिवर्तित करने के लिए, मंजिल नंबर 1 और 2 (नई बिल्डिंग) ई -1007, चरण-III, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सांगानेर जयपुर -302022

समिति को बताया गया कि मेसर्स ग्रीन शील्ड प्रोटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित वस्तुओं के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) इकाई को प्रथम व द्वितीय तल (नवीन भवन) ई-1007, फेज-III, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सांगानेर जयपुर-302022 में 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया था:-

क्रमांक	वस्तु का नाम	वार्षिक क्षमता (इकाई = संख्या)	एचएस कोड
1.	कवर ऑल	12000.00	62034300, 62034290, 62113200, 62059090
2.	कमीज	12000.00	62059090
3.	पतलून	2000.00	62034300, 62034290
4.	जैकेट	2000.00	62033200, 62033300, 62171090
5.	विंटर जैकेट	2000.00	62033200
6.	विंटर कवर ऑल	2000.00	62034290
7.	टी-शर्ट	6000.00	61099090
8.	हूडी जैकेट	2000.00	61109000
9.	स्वेटर	2000.00	61109000, 61033200

3.2 समिति को यह भी बताया गया कि इंदौर और फाल्टा एसईजेड से पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि इकाई का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.06.2024 और उसके बाद दिनांक 15.07.2024 के अनुस्मारक ई-मेल के माध्यम

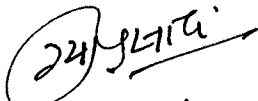
22/07/24

से क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों को साइट निरीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। हालाँकि, यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी ने पाँच वर्षों की अवधि में 108.64 लाख रुपये के निवेश और 989.00 लाख रुपये के एनएफई का अनुमान लगाया है।

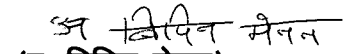
3.3 श्री महेंद्र राका लेखाकार और श्री मनीष भरतिया अधिकृत प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वे सुरक्षात्मक कपड़ों और काम के कपड़ों में विशेषज्ञ हैं। संयंत्र और मशीनरी में उनका पूंजी निवेश 108.64 लाख रुपये है जो स्वदेशी रूप से खरीदे गए हैं। उनकी इकाई 2019 से ही उत्पादन में है।

3.4 समिति ने विचार-विमर्श किया और "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदन दिया, जो कि क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क विभाग की अनुकूल साइट निरीक्षण/व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन है। अनुमोदन इस बात के भी अधीन है कि इकाई परियोजना की वित्तीय सुदृढ़ता की सत्यता की जांच करने के लिए सभी निदेशकों के संबंध में निवल मूल्य का विवरण प्रस्तुत करे। इसने नोएडा एसईजेड के विकास आयुक्त कार्यालय को उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर फाइल पर विचार-विमर्श करने और अंतिम अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(गया प्रसाद)

उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त